

स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश में राज्य और ज़िला स्तर पर तबादलों पर फलिहाल रोक है। सरकार ने 24 जून, 2021 को इन स्तरों के लिये स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 जारी की थी।

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई।

मुख्य बट्टि

- राज्य सरकार ने अब स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 की धारा 9 में संशोधन किया है, ताकि मंत्रियों को असाधारण परस्थितियों में स्थानांतरण करने की अनुमति मिलि सके।
 - सामान्य प्रशासन वभिग ने स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 जारी की।
- स्थानांतरण के लिये मंत्रसित्रीय प्राधकिार:
 - अब उच्च प्राथमकिता वाले मामलों के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रशासनकि अनुमोदन के बाद सचवि स्तर पर अनुमोदन किया जा सकेगा।
- वभिगीय वविकाधकिार:
 - ऐसे मामलों में जहाँ वभिगीय नीतिके अनुसार स्थानांतरण अनुचति माना जाता है, वभिग सचवि को वभिग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - इसके बाद स्थानांतरण प्रस्ताव को अंतमि अनुमोदन के लिये स्थानांतरण के कारणों सहति अतरिकित मुख्य सचवि/प्रधान सचवि को भेजा जाएगा।
- स्थानांतरण की शर्तें:
 - स्थानांतरण केवल वशिष परस्थितियों में ही हो सकता है, जैसे:
 - स्वास्थ्य कारण: कँसर, स्ट्रोक, दलि का दौरा आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के कारण स्थानांतरण प्रदान किया जा सकता है।
 - न्यायालय के आदेश: यदि न्यायालय के आदेश द्वारा अनविर्य किया गया हो, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी, बशर्ते कि कर्मचारी के वरिद्ध कोई वभिगीय कार्रवाई लंबति न हो।
 - गंभीर शकियातें या अनयिमतिताएँ: यदि किसी सरकारी कर्मचारी के वरिद्ध गंभीर शकियातें या लापरवाही पाई जाती है तथा वभिग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
 - आपराधकि मामले: यदि कर्मचारी लोकायुक्त या पुलसि द्वारा दर्ज किसी आपराधकि मामले में संलपित है और जाँच में कोई बाधा नहीं है, तो स्थानांतरण किया जा सकता है।
 - रकित्त पूरति: ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी का पद नलिंबन, त्यागपत्र, सेवानवृत्तिया मृत्यु के कारण रकित्त हो जाता है और वभिग उस पद को भरना आवश्यक समझता है, तो स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
- संशोधन का महत्त्व:
 - स्थानांतरण नीतिके उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थति करना तथा वशिष परस्थितियों पर वचिार करते हुए नषिपकषता सुनशिचति करना है।
 - यह संशोधन स्वास्थ्य संबंधी स्थानांतरण या शकियातों और आपराधकि मुद्दों जैसे अत्यावश्यक और गंभीर मामलों को नपिटाने में अधकि अनुकूलता प्रदान करता है।
 - यह सुनशिचति करके कि स्थानांतरति पद पर रकित्तियँ आनुपातिक हैं, नीतिके उद्देश्य वभिगों और स्थानों में संतुलन बनाए रखना है।
 - स्थानांतरण नीति में यह संशोधन यह सुनशिचति करेगा कि स्थानांतरण उचति परशि्रम के साथ किये जाएँ, खासकर जब स्वास्थ्य समस्याओं, कानूनी मामलों या वभिगीय अनयिमतिताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधति किया जाता है। यह सरकारी संसाधनों के कुशल प्रबंधन की भी अनुमति देता है, जबकि तित्तकाल या वशिष मामलों के लिये अनुकूलता प्रदान करता है।

